पुलिस आदेश सं0. 280./2001

पुलिस हस्तक नियम 1076(ग) में वर्दी एवं साज-सज्जा के क्रय के विषय में यह निर्देश है कि निविदाओं के अनुमोदन के पश्चात् सभी चुने हुए अद्दों के एक-एक नमूने आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक, प्रोविजन) की उपस्थिति में मुहरबन्द कर दिये जायेगें । आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) इन्हें अपने कार्यालय में रखेंगे । जिन वस्तुओं की खरीद सीधे जिलों के द्वारा ठिकेदारों से की जानी है उनके संबंध में यह निर्देश है कि चुने हुए वस्तुओं के नमूने पर्याप्त संख्या में ठिकेदार देगें । उन्हें भी समरूप ढंग से मुहरबन्द किया जायगा । नमूनों का एक सेट आरक्षी महानिरीक्षक केसहायक (सम्प्रति आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के कार्यालय में रख लिया जायगा और शेष को जिलों/इकाईयों को वितरित कर दिया जायगा ।

इन नमूनों को बाद में प्राप्त होने वाले अद्दों से मिलान के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना है । ऐसे प्राप्त अद्दों, जिन्हें केन्द्रीय भंडार में प्राप्त होना है, की तुलना नमूनों से भंडार के प्रभारी पदाधिकारी तथा आरक्षी महानिरीक्षक (सम्प्रति महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक) द्वारा नामजद दो अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया जायगा । महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के द्वारा उपरोक्त विधि से गठित समिति प्राप्त अद्दों की जांच भली भांति उपलब्ध नमूनों से तुलना कर करेगें यह जांच पुलिस हस्तक नियम 1044 में निहित प्रक्रिया के अनुरूप होनी है ।

वर्तमान में जिला पुलिस/सैन्य पुलिस की वाहनियों को आपूर्ति किये जाने वाले वस्त्र एवं उपस्कर केन्द्रीय स्तर पर खरीदे जाते है । अत: निविदाओं के अनुमोदनोपरान्त चुनी हुई अद्दों का एक-एक नमूना आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) द्वारा मुहरबन्द किया जाता है और उसे केन्द्रीय वस्त्र भंडार में रखा जाता है । जो मद गृह रक्षा वाहिनी की आपूर्ति से संबंधित है उनके दो-दो नमूने मुहरबन्द कर रखे जाते हैं ।

केन्द्रीय निरीक्षण समिति आपूरित मदों को रेन्डम तरिके से जांच कर उन्हें अनुमोदित करती है । यह इसलिए किया जाता है कि मद एवं संख्या अधिक होने के कारण सभी आपूरित सामानों को एक-एक करके देखना संभव नहीं हो पाता । इस स्थिति में ठिकेदारों द्वारा आपूरित सामानों, कुछ धटिया किस्म के सामान दिये जाने की संभावना बनी रहती है । सामानों को केन्द्रीय वस्त्र भंडार से जिला/इकाईयों के द्वारा संकलन के पश्चात् रास्ते में बदलने की संभावना बनी रहती है । इस संभावना से निपटने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :-

1. पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुसार आपूर्ति आदेश के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामानों की आपूर्ति के पश्चात केन्द्रीय वस्त्र भंडार के प्रभारी सामान का निरीक्षण करेंगे । यह निरीक्षण यद्यपि उन्हें पुन: उक्त नियम के अनुसार समिति के सदस्य के रूप में भी करना है, तथापि यह आदेश दिया जाता है कि वे पहले अपने स्तर पर संख्या एवं गुणवत्ता दोनों का आकलन आपूरित सामान के संबंध में करने के पश्चात आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रोविजन) के माध्यम से केन्द्रीय निरीक्षण समिति को उक्त नियम के अनुसार निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे ।

पुलिस हस्तक नियम 1076 (ग) के अनुरूप केन्द्रीय निरीक्षण समिति समानों का निरीक्षण करेगी ।

यहां यह बता देना आवश्यक होगा कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर को अपने स्तर पर निरीक्षण समिति को आमंत्रित करने के पूर्व आपूरित समान एवं गुणवत्ता दोनो के प्रति केवल आश्वस्त होने का दयित्व दिया गया है न की उसे अस्वीकृत करने का । अगर वे ऐसा महसूस करते हैं कि आपूरित समान गुणवत्ता अथवा संख्या में कम है और आपूतिंकर्ताओं द्वारा असहमत हों तो अपने आमत्रण पत्र में इस बात का उल्लेख करते हुए उ0म0नि0 (प्रोविजन) को सुचित कर दें । केन्द्रीय निरीक्षण समिति जब निरीक्षण करेगी तो इस बात का घ्यान रखेगी । यह भी आदेश दिया जा रहा है कि ऑफिसर इनचार्ज स्टोर केन्द्रीय निरीक्षण समिति का एक सदस्य रहेगें ।

केन्द्रीय निरीक्षण समिति आपूरित सामानां मे से निविदा के निर्णय के समय आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) के द्वारा जो नमूना स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार उतनी हीं संख्या में और नमूने बनाएगी जितने जिला एवं इकाई हैं । इन नमूनों पर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा ।

2. मदों के आवंटन के उपरान्त सभी जिलों/इकाईयों से आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा/ प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगें कि केन्द्रीय वस्त्र भंडार से सामानों का संकलन आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक समादेष्टा एवं परिचारीर प्रवर, वस्त्र प्रभारी/गृह पाल अ0नि0(स0) के द्वारा ही किया जाय । यदि सम्बन्धित जिलों /इकाईयों के उपा0 तथा परिचारी प्रवर /प्रभारी परिचारी, गृह पाल अ0नि0 (स0) नहीं आते तो मदों की आपूर्ति केन्द्रीय वस्त्र भंडार से नहीं की जयेगी ।

3. जिला इकाई आपूरित सामानों के साथ-साथ एक नमूना जिसपर केन्द्रीय निरीक्षण समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा उसे अपने साथ ले जायेगें । केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना मेंउपलब्ध नमूनों से मिलान कर ही सामान ले जाने वाले पदाधिकारी सामानों का संकलन करेगें । वे इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत चालान पर अंकित करेगें कि "सामानों का मिलान नमूनों से कर लिया गया है तथा सामाना नमूनों के अनुरूप है और सही हालत में आवंटित संख्या के अनुरूप उन्होंने प्राप्त किया ।"

4. जिला/इकाईयों के आ०अ०/समादेष्टा/प्राचार्य अपने स्तर से भी एक स्थानीय निरीक्षण समिति का गठन करेंगे जो केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना में संकलित सामानों का निरीक्षण करेंगे । इसी क्रम में वे प्राप्त सामानों की तुलना उपलब्ध नमूनों से करेंगे । उनके निरीक्षण के पश्चात् ही संकलित सामान जिलों/इकाईयों के भंडार में रखा जायगा । आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा/प्राचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय को समर्पित करेंगे कि संकलित सामान नमूनों के अनुरूप एवं उल्लेखित मात्रा में सही सही पाया गया ।

9/1/2001

(आर० आर० प्रसाद)

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 57 /आपूर्ति दिनांक 09-01-2001

70-1-79-2000

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि:1. गृह सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. आरक्षी महानिदेशक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

3. सभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित ।

4. प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे को सूचनार्थ प्रेषित ।

6. आरक्षी महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, उत्तरी क्षेत्र पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

7. आरक्षी महानिरीक्षक (वितंतु) को सूचनार्थ प्रेषित

8. सभी क्षेत्रीय /मंडलीय /रेलवे उ०म०नि० को सूचनार्थ प्रेषित ।

9. सभी आरक्षी अधीक्षक/ समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

10. प्राचार्य पी०टी०सी० नाथनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

11. आरक्षी उपाधीक्षक, परिवहन मुख्यालय/ परिचारी प्रवर, केन्द्रीय आयुध भंडार/ रक्षित पदाधिकारी म०नि० एवं आ०म०नि० कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

12. आरक्षी उपाधीक्षक, केन्द्रीय वस्त्र भंडार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

13. प्रशाखा पदाधिकारी, पी । प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

9/1/20

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,

बिहार, पटना ।